

एस.आर.प्रारूप-14

- ### अन्य शर्तः:-

- उस राशि का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जो बोलियाँ विहित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जायेंगी व अस्वीकार करने योग्य होंगी।
2. बोलियाँ मोहरबन्द लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से चूरु न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालय "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर जिला चूरु के उपयोग हेतु नवीन कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस एवं फॉटोकॉपीयर मशीन आदि आईटम्स क्रय एवं "बोली आमंत्रण सूचना संख्या-03/2026-27" लिखा होगा, जो तय दिनांक एवं समय पर जिला न्यायालय, चूरु में पहुँच जानी चाहिए। रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित निविदा के विलम्ब के लिए निविदादाता फर्म ही उत्तरदायी रहेगी।
 3. जो भी बोलियाँ विहित दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त होंगी, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।
 4. सामान/सामग्री को संबंधित नवसृजित न्यायालय तक पहुँचाने का लगेज/परिवहन व्यय एवं इन्स. टैलेशन चार्ज अलग से देय नहीं होगा।
 5. माल की आपूर्ति अनुमोदित स्पेसिफिकेशन एवं मेक के अनुसार करनी होगी, अन्यथा आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
 6. उपापन समिति द्वारा आईटम वाईज निर्णय लिया जायेगा, एवं दरें स्वीकृत होने के पश्चात् निविदा में उद्धृत मात्रा से कम या ज्यादा आईटम क्रय का अधिकार उपापन समिति के पास निहित रहेगा।
 7. उद्धृत दर में GST व अन्य सभी प्रभार/शुल्क सम्मिलित होंगे तथापि अलग से देय नहीं होंगे।
 8. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। स्पेसिफिकेशन एवं अनुमोदित नमूनों के अनुरूप आपूर्ति का, प्रभारी अधिकारी (स्टोर) के सत्यापन एवं संचालन के बाद ही ECS/NEFT पद्धति से भुगतान संबंधित नवसृजित न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर जिला चूरु के लेखा शीर्ष की विस्तृत इकाई-05 (कार्यालय व्यय) में बजट उपलब्धता के अध्याधीन फर्म के बैंक खाते में अंतरित किया जायेगा।
 9. निविदत्त दरें, निविदा खोलने की तिथि से 90 दिन तक वैध रहेंगी।
 10. बोली शर्तों के किसी भी प्रकार के संदेह अथवा मन्शा के संबंध में बोली प्रपत्र खरीदने/डालने से पूर्व कार्यालय समय में क्रय समिति से स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है।
 11. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र चूरु ही होगा।
 12. बोली दस्तावेजों में बोली विषयवस्तु के अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र, ब्लैकलिस्ट नही होने का शपथपत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।


अध्यक्ष (उपापन समिति)

जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरु (राज.)

क्रमांक:- लेखा/2026-27/113-117

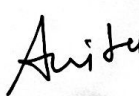
दिनांक:- 04.07.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राज.) को उनसे प्राप्त बजट आवंटन पत्र क्रमांक 1253-65 दिनांक 08.05.2026 के अनुसरण में।
2. सीनियर सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरु (राज.) को उक्त बोली आमंत्रण सूचना विज्ञप्ति, बोली प्रपत्र एवं बोली शर्तें, जिला न्यायालय की विभागीय वेबसाइट <https://churu.d-courts.gov.in> पर अविलम्ब प्रकाशित कर पुष्टि उपलब्ध करवाने हेतु।
3. जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरु (राज.) के नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु।
4. संबंधित नवसृजित न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर जिला चूरु।
5. नोटिस बोर्ड - कार्यालय जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी/नगर परिषद/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, चूरु (राज.)
6. ज्ञात फर्म मैसर्स


अध्यक्ष (उपापन समिति)

जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरु (राज.)


कार्यालय:- जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरु (राज.)

एस.आर.प्रारूप-16
[GF&AR Part-II का नियम-88(1)]

तकनीकी बोली प्रपत्र

[RTTP Act का नियम-38(2)]
बोली प्रपत्र शुल्क - 200/-

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 03/2028-27

1. कार्य का नाम - चूरु न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर जिला चूरु के उपयोग हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं फॉटोकॉपीयर मशीन आदि मदों का उपापन
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम -
3. बोली प्रपत्र शुल्क की राशि 200/- चालान रसीद संख्या..... दिनांक..... द्वारा जमा करवा दी गई है।
4. बोली प्रतिभूति (EMD) राशि जमा का बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... बैंक का नाम..... का संलग्न कर दिया गया है।
5. बोली में अंकित सामानों को अनुमानित मूल्य राशि रुपये है।
6. फर्म द्वारा आदेश प्राप्ति की दिनांक से 30 दिन की अवधि में माल की सुपुर्दगी कर दी जावेगी।
7. दरें दिनांक..... तक के लिए विधि मान्य हैं, इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
8. फर्म का आयकर/जीएसटी नं..... है।
9. कय किये जाने वाले आईटम संलग्न प्रपत्र के अनुसार हैं। आईटम के सामने फर्म द्वारा दरें अंकित की गई हैं, जिसमें समस्त कर/जीएसटी भी सम्मिलित है।
10. हम जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरु द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तों विनिर्देश से बाध्य होना स्वीकार करते हैं, जिसको स्वीकार करने के प्रमाण में इनके सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

घोषणा-पत्र

[GF&AR Part-II का नियम-48(vii) व RTTP नियम 39(4)] एस.आर.प्रारूप-11

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरु (राज.) का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म द्वारा वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा की गई है, उसके हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/विपणन एजेंट हैं। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैकलिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कारवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा, तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांक:-

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
पूर्ण पता व टेलीफोन/मोबाईल नं.

684

Arish

Signature

कार्यालय- जिला एवं सेशन न्यायालय, चुरू

बोली दस्तावेज मूल्य 200/- रुपये
बोली प्राप्ति दिनांक 13.07.2026 को समय 02:00 पी.एम. तक
बोली खोलने की दिनांक 13.07.2026 को समय 04:30 पी.एम. पर

बोली आमंत्रण सूचना संख्या : 03/2026-27

Technical Specification

Desktop PC

Annex -A

S.No.	Discription	
1	Brand	HP/Acer/Dell
2	Processor	Intel core i3 with 12 th generation or higher
3	Processor speed	3.2 GHZ minimum or Higher
4	RAM	8 / 16 GB DDR4 or Higher
5	SSD	512 GB or Higher
6	Motherboard	Intel Original Motherboard or Equivalent Motherboard based on associated chipset with minimum Two free PCI/PCI-x/PCI-Express slots
7	Expandable Memory	Upto 32 GB at least 2 slots
8	Operating System	Ubuntu 20.04 or Higher
9	System Architecture	64 bit
10	Screen Size	19.5 Inch LED-backlit IPS Monitor (HD resolution) or higher
11	Key Board and Mouse	OEM USB optical scrolling mouse , OEM USB standard 104 keys Keyboard
12	Speakers	Stereo Sound Speakers (Built in with CPU cabinet or Monitor) or External
13	Eathernet	Integrated Gigabit Ethernet Controller with Ipv6 Competent(Integrated 10/100/1000 Gbe LAN)
14	Wireless /Wi-fi	sIEEE 802.11 (Internal)
15	USB Port	4 xUSB 2.0 , 2 xUSB 3.0, USB-C
16	Other Port	Mic-in, Speaker out , RJ45, VGA/ Display port out
17	HDMI Port	Yes
18	VGA Port	Yes
19	Power Supply/ Adapeter	Optimum wattage SMPS to support full use of system with all USB ports utilized
20	DVD Writer	Yes (if available)
21	Warranty	1 Years on site comprehensive warranty site service or More

Printer

Annex - B

S.No.	Discription	
1	Brand	Hp / Canon
2	Print speed	18 ppm Minimum
3	Resolution	600 *600 dpi
4	Printing media type	Paper (plain)
5	Printer Output Tray	Monochrome
6	Printing Technology	Laser jet
7	Support Dual Side Printing	Yes (if available)
8	Printer Media size	A4 , Letter, Legal, folio, A5
9	Input Sheet capacity	100
10	Special Feature	Auto duplex (if available)
11	Mounting Hardware	Power Cable , USB Connect Cable
12	Connector Type	USB / Ethernet / Wifi
13	Compatible with	UBUNTU 16.04, 18.04,20.04 or higher
14	Installation and Driver	Dirver must be provide by supplier for ubuntu and also installation first time with process
15	Warranty	1 Years on site comprehensive warranty site service or More

Auty

UPS

Annex -C

S.No.	Discription	
1	Model No	600 VA UPS
2	Type	Offline /standby
3	Overload protection	Yes
4	Output plu	3 minimum
5	Full load run time	15 minlute (min.)
6	Replacement Battery	Yes
7	Warranty	1 year on site service (min.) with battery

Photo copy

Annex -D

S.No.	Discription	
1	Brand	HP / Canon
2	Print Speed	Upto 22 ppm (min) or above
3	Color output	Monochrome
4	Paper Size	Max A3 , Min A6
5	Paper capacity	250 sheets single Drawer ,
6	Paper capacity	100 sheets Bypass tray
7	Memory	1 GB or Higher
8	Documents Feeder	DADF/RADF, 100 sheets
9	Copier warmup time	15 sec or higher
10	Copier resolution	600*600 dpi
11	Printer Resolution	600*600 dpi
12	Printer interface	USB, 10 base-T/100 Base-T Ehternet
13	Printer Supported OS	UBUNTU 20.04 or higher /Linux, Windows
14	Scanner Speed	20ipm color, 55ipm Black
15	Scanner Resolution	600*600dpi
16	Scanner file format	TIFF, PDF, JPEG (min)
17	Installation and Driver	Dirver must be provide by supplier for ubuntu' and also installation first time with process (specially ubuntu)
18	Imaging Technology	Laser
19	Warranty	1 Years (Minimum) on site comprehensive warranty site service or More
20	Additional	20000 free copies printing with machine

- नोट:-**
1. ओवरराईटिंग ना करे। कटिंग पर हस्ताक्षर करे।
 2. समस्त मदों की दरें अंकों और शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा।
 3. प्रत्येक मद की बोली केवल एक ही दर अंकित करना आवश्यक है। अन्यथा स्थिति मे एक से अधिक दर अंकित होने पर केवल न्यूनतम दर ही स्वीकार्य होगी।
 4. यदि आईटम किसी ब्रांड/Make से संबंधित होने पर, दर के समर्थन मे आईटम का मेक (Make) व ब्रोचर भी संलग्न किया जावे।
 5. दर प्रस्ताव बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के अध्यक्षीन प्रस्तुत की गई है।

Anita
AAO-II

Churu
सिनियर सिस्टम ऑफिसर

Churu
CJM Churu

Churu
अध्यक्ष, क्रय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरु

हस्ताक्षर निविदादाता, बिडर/मोहर

1. बोली विहित प्रारूप-में प्रस्तुत की जाएगी। जिन्हें इस कार्यालय से 200/- रुपये चालान जमाकर प्राप्त किया जा सकता है। RTPP नियम 45(1) के अनुसार बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर बोली दस्तावेजों के बोली प्रपत्र के शुल्क के चालान की रसीद संलग्न करनी होगी। यह राशि प्रतिदाय नहीं होगी।
2. बोली बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "चुरू न्यायक्षेत्र के नवसृजित न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर जिला चुरू के लिए नवीन कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस एवं फोटोकॉपीयर मशीन आदि आईटम्स मदों का उपापन" हेतु बोली एवं बोली आमंत्रण सूचना संख्या व दिनांक लिखा होना चाहिए।
3. बोली दिनांक 13.07.2026 को समय दोपहर 02:00 बजे तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। बोली दिनांक 13.07.2026 को 04:30 पी.एम. बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जाएगी।
4. न्यूनतम दरों वाली बोली को स्वीकार करने के लिए कय समिति बाध्य नहीं होगी। तथा किसी भी बोली को या उस बोली के किसी भी भाग को बिना कारण बताएं रद्द किए जाने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष (उपापन समिति) के पास सुरक्षित रहेगा।
5. विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग ईकाइयों के द्वारा मूल पंजीयन प्रति या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करने पर उन सामानों के लिए, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, बोली प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि अनुमानित मूल्य का 0.5 प्रतिशत अथवा 1 प्रतिशत एवं कार्य संपादन प्रतिभूति (एस.डी.) राशि आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत अथवा 2 प्रतिशत यथा समय प्रभावी ली जाएगी। तथा उपरोक्त से भिन्न फर्मों के लिए प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि अनुमानित मूल्य का 2 प्रतिशत एवं कार्य संपादन प्रतिभूति (एस.डी.) राशि आदेशित मात्रा के मूल्य की 5 प्रतिशत होगी।
7. वर्णित सामान की आपूर्ति बोली स्वीकार करने/कार्यादेश जारी करने की तिथि से 30 दिवस के अंदर की जाएगी। उक्त अवधि में करार निष्पादित करने की अवधि भी शामिल होगी। विहित परिदत्त अवधि में बोलीदाता जिन सामानों का प्रदाय करने में असफल रहेगा सा.वि.ले.नियम भाग-II के नियम 58(3) के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान (एल.डी.) की वसूली/कटौती की जाएगी तथा संविदा शर्तों को भंग करने की स्थिति में आरटीपीपी नियम-2013 के नियम-42 (11) के अनुसार बोली प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि जब्त करने तथा नियम-73 (3) में प्रावधानानुसार सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध आरटीपीपी अधिनियम-2012 या नियम-2013 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम या लाभप्रद बोली लगाने वाले को बोली स्वीकृति का प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र होगी।
8. केवल मेन्यूफेक्चरिंग युनिट में रजिस्टर्ड निर्माता कंपनियों द्वारा निर्मित(ब्राण्डेड) प्रोडक्ट ही कय किये जाएंगे तथा एसम्बलड प्रोडक्ट कय हेतु स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
9. कय समिति द्वारा सामग्री कय का निर्माण गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन पूर्णता के आधार पर प्रत्येक आ. इटम वार्डज वित्तीय परिणामों एवं नमूना परीक्षण सहित गुणवत्ता एवं टिकाउपन (Durability) पर आधारित होगा। बोलीदाता द्वारा संबंधित आईटम के ब्रोशर मय मेक बोली के साथ संलग्न करना होगा तथा कय समिति द्वारा सामग्री के भौतिक निरीक्षण/परीक्षण उपरान्त कय बाबत निर्णय लिया जाएगा। भौतिक परीक्षण हेतु सामग्री(आईटम) जिला न्यायालय परिसर में फर्म को स्वयं के खर्च पर उपलब्ध/प्रस्तुत करवाना होगा

। एतएव दर मूल्यांकन का विश्लेषण वांछित तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अनुरूप प्रत्येक आइटम वाईज अलग-अलग किया जाएगा।

10. बोली प्रपत्र में अंकित विशिष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। दर के समर्थन में Make-Model No. अंकित कर उससे सम्बन्धित ब्रोशर भी संलग्न करना अपेक्षित होगा।

11. दर स्वीकृति बाद आपूर्ति आदेश के अनुसार संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म अनुमोदित सैम्पल के अनुरूप उपापन मर्दों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा तथा आपूर्ति मर्दों की उचित पैकिंग स्वयं के खर्च पर करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति/टूट-फूट नहीं हो तथा गन्तव्य स्थल पर उपापन संस्था को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। परिवहन के दौरान अथवा आपूर्ति प्राप्ति के समय किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, टूट-फूट या कमी होने पर, बोलीदाता फर्म उपापन संस्था को उन मर्दों की कमीपूर्ति/सुधार करने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

12. यदि कय मर्दों की आपूर्ति उपापन संस्था की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाएगी तो संबंधित बोलीदाता (आपूर्तिकर्ता फर्म) को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद उपापन संस्था प्रदाय हेतु संविदा को किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकेगी, जो आपूर्तिकर्ता फर्म पर बाध्यकारी होगी।

13. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 73 के अनुसार उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपापन नहीं करती है या बोली दस्तावेज में अंकित मात्रा से कम उपापन करती है तो बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त मर्दों या परिणाम के लिए पुनरादेश किया जा सकेगा। पुनरादेश के लिए आपूर्ति अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश की मात्रा मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत तक होगी। यदि बोलीदाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो उपापन संस्था अवशेष सामान की सप्लाई काटेशन/सीमित बोली पद्धति या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगी तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोलीदाता से वसूली की जायेगी।

14. बोली प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि 7100/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट 'जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू' के पक्ष में संलग्न करना होगा। इसके अभाव में प्रस्तुत बोली स्वीकार करने योग्य नहीं होगी तथा बोली प्रतिभूति आरटीपीपी नियम-42(ii) के प्रावधानानुसार समपहृत (Forefeit) के दायित्वाधीन होगी।

15. बोलीदाता को सामग्री की आपूर्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर अथवा वांछित आपूर्ति स्टेशन पर करनी होगी।

16. किसी भी प्रकार का लगने वाला कर, जी.एस.टी., शुल्क स्वयं बोलीदाता द्वारा देय होगा। अतः **दरें समस्त कर व शुल्क सहित ही प्रस्तुत करनी होंगी।** आवश्यक होने पर जी.एस.टी. व टी.डी.एस. की कटौती उपापन संस्था के स्तर पर की जाकर भुगतान किया जा सकेगा।

17. सामग्री की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है, अथवा किसी आइटम को कय करने/कय न करने के संबंध में कय समिति को पूर्ण अधिकार होगा।

18. बोली की विधि मान्यता अवधि आर.टी.पी.पी. एक्ट 2013 के नियम 48(1) के अनुसार **90 दिवस तक विधि मान्य रहेंगी**, किन्तु अपवादिक परिस्थिति में बोलीदाता की पारस्परिक सहमति से विधि मान्यता अवधि अभिवृद्धि की जा सकेगी, तथा बोली स्वीकृति के पश्चात् **अनुमोदित/स्वीकृत दर 31.03.27 तक मान्य होगी।**

19. सफल बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना की तिथि से सात दिवस में **आर.टी.पी.पी. नियम 70(7) सपठित 76(2)** के अनुसार अपेक्षित मूल्य रुपये 500/- के न्यायिक स्टाम्प पर **एस.आर. प्रारूप-17 में एककरार निष्पादित कर, कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD)** राशि जरिए ड्राफ्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू के पक्ष में जमा करवाना होगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा। **उक्त अवधि आपूर्ति अवधि 30 दिवस में ही शामिल रहेगी।** सामग्री की सप्लाई संतोषजनक एवं नियत अवधि में नहीं होने की स्थिति में **जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने के दायित्वधीन होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति सम्पूर्ण आपूर्ति बिना त्रुटिदायित्व के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने के पश्चात् दो माह में लौटाई जा सकेगी।** GF&AR पार्ट-II नियम 57(5)(ख)(i)(ii) सपठित RTPP अधिनियम धारा 46(4) के प्रावधानान्तर्गत कार्य सम्पादन प्रतिभूति समपहृत (Forfeited) के दायित्वधीन होगी।

20. यदि बोलीदाता द्वारा किसी अन्य विभाग/कार्यालय में बोली में अंकित सामग्री का निष्पादन किया गया हो तो ऐसे विभाग/कार्यालय के नाम भी प्रस्तुत किये जावें।

21. बोलीदाता कय सामग्री की यह भी गारण्टी देगा कि सुपुर्दगी तिथि से दिन/माह/वर्षों की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुसार सामग्री बनी रहेगी।

22. सफल बोलीदाता को सफलतापूर्वक आपूर्ति निष्पादित उपरान्त संबंधित नवसृजित न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर के संबंधित बजट लेखाशीर्षक की विस्तृत इकाई 05-कार्यालय व्यय (नवीन आईटम) में उपलब्ध बजट प्रावधानों के अध्यक्षीन भुगतान ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से बोलीदाता के खाते में अन्तरित किया जावेगा, जिसके लिए फर्म को पेन कार्ड व बैंक खाता संख्या उपलब्ध करवाना होगा। भुगतान पर नियमानुसार आयकर/टी.डी.एस. देय होगा।

23. बोली स्याही या बॉलपेन या टंकण से भरी जावे। पेंसिल से भरी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा, ओवर राइटिंग/कटिंग नहीं करें। ओवर राइटिंग/कटिंग होने पर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें।

24. शर्त बोली प्रथमदृष्टया निरस्त योग्य होगी। बोलीदाता यदि ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो बोली में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उसके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा।

25. सामग्री की गारण्टी/वारण्टी अवधि में नियमानुसार स्प्लायर फर्म को निःशुल्क सर्विस उपलब्ध करानी होगी।

26. आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं रूल्स 2013 व सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम के समस्त प्रावधान उक्त कय पर यथा आवश्यक उपान्तरण सहित लागू एवं प्रभावी होंगे।

27. बोलीदाता को जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा बोली के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन व आयकर रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में बोली स्वीकार करने योग्य नहीं होगी।

28. सभी मर्दों की दरें डालना अनिवार्य है। प्रत्येक आइटम की एकल दरें ही मान्य होगी तथा एक से अधिक दर अंकित करने पर संबंधित आइटम की न्यूनतम दर ही स्वीकार की जाएगी। जो कम्प्यूटर प्रिंटर, फोटोकॉपीयर मशीन आदि आइटमस किसी ब्रॉण्ड/मैक से संबंधित होने पर, उसकी दर के साथ मैक अंकित कर ब्रोचर भी संलग्न किया जाए।

29. सा.वि.ले.नि. भाग-11 के एसआर प्रारूप-16 एवं वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.2023 के संलग्नक (एनेक्सर ए से डी) की सम्पूर्ण शर्तें यथा उपान्तरित सहित उक्त उपापन पर प्रभावी रहेंगी।

30. आरटीपीपी नियम-51 (2) के अनुसार बोली खोलने की तिथि को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने की स्थिति में बोली अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।

31. फर्म द्वारा बिड में अंकित मेक(Make) के अनुसार ही वास्तविक विनिर्माता(Make) की सामग्री ही आपूर्त करनी होगी। एसेम्बलड प्रोडक्ट कय हेतु स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पश्चात्तर्वर्ती रूप से छद्म अथवा नकली (डूल्कीकेट) प्रोडक्ट की आपूर्ति पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

32. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-84 में प्रावधित प्रक्रियानुसार अंकगणितीय सुधार किया जा सकेगा।

33. अनुमोदित प्रदायकर्ता आपूर्ति आदेश के किसी भी भाग/मात्रा को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को नहीं सौंपेगा तथापि उप-भाड़े (सब-लेट) पर नहीं देगा।

34. प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली में निर्धारित विनिर्देश (स्पेसिफिकेशन) के मानकीकृत (स्टेन्डर्ड) के अनुसार अति उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण (Best Quality and Description) के अनुसार होगी। इस बाबत उपापन संस्था द्वारा किया गया निर्णय अंतिम एवं संबंधित बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

35. जिन मर्दों पर वारंटी/गारंटी खण्ड लागू होगा, उन मर्दों के लिए बोलीदाता इस आशय की गारंटी/वा. रंटी देगा कि गारंटी/वारंटी से संबंधित विषयवस्तु/सामग्री सुपुर्दगी की दिनांक से विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी। इस तथ्य के बाद भी उक्त मर्दों के भौतिक निरीक्षण/परीक्षण पर उक्त विवरण एवं गुणवत्ता की नहीं होने पर उक्त मर्दों को उपापन समिति/उपापन संस्था को रद्द करने का हकदार होगा। रद्द की गई मर्दें स्प्लायर/विक्रेता की जोखिम पर होगी, तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। स्प्लायर को गारंटी/वारंटी अवधि में जब भी ऐसा करने के लिए कहा जायेगा, वह उस माल/सामग्री को बदलने अथवा दोष सुधार करने के लिए तत्पर रहेगा, अन्यथा बोलीदाता ऐसी हानि का भुगतान करेगा, जो इसमें दी गई गारंटी/वारंटी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी।

36. अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति (EMD)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) को नई बोलियों (निविदाओं) के लिए बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा तथापि यदि बोलियों को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति को उपयोग में लिया जा सकेगा।

37. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा, तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा मूल प्रति प्रस्तुत की जायेगी।

38. वित्तीय बोली खोलने के बाद आवश्यकता हुई तो RTPP नियम 69(2) के अनुसार न्यूनतम दरदाता से बातचीत (नेगोसिएशन) किया जा सकेगा। किन्तु नेगोसिएशन बोली लगाने वाले द्वारा मूल प्रस्ताव को प्रभावहीन नहीं करेगी।

39. न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वालों से दरें असंतोषजनक प्राप्त होने की स्थिति में, बोली मूल्य किंवा समिति न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वालों को एक लिखित प्रति प्रस्ताव देने का चयन कर सकती और यदि वह उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो उपापन समिति बोली को अस्वीकार करने के साथ बोलियां पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है या वही प्रति प्रस्ताव दूसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले तथा अगले बोलीदाताओं को देकर, प्रदाय आदेश उस बोली लगाने वाले को अधिनिर्णित किया जा सकेगा, जो प्रति प्रस्ताव स्वीकार करेगा।

40. आपूर्ति जब भी प्राप्त की जायेगी, उनका निरीक्षण/परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे वांछित स्पेसिफिकेशन या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक एवं व्यवहारिक होगा, परीक्षण उसके विषय विशेषज्ञ से करवाया जा सकेगा।

41. निरीक्षण एवं परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जायेंगी, उन्हें रद्द कर दिया जायेगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें निर्धारित अवधि में उसकी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।

42. जहां सरकार कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से प्रश्नांकित मर्दों को बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जायेगा, तो उपापन संस्था बोलीदाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेगा। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

43. बोलीदाता को उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पक्ष का समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

44. उपापन समिति एवं उसका नामित प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर यथा आवश्यक होने पर प्रदायकर्ता के परिसर/वर्कशॉप में जायेगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चित किया जायेगा, सभी युक्तियुक्त समयों पर कृय मर्दों की सामग्री एवं कर्मकौशल (Workmanship) का निरीक्षण एवं जांच करने की सम्पूर्ण शक्तियां होंगी।

45. RTPP नियम 51(2) के अनुसार बोली प्राप्त करने या खोलने की स्थिति को राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने अथवा अंतिम तारीख कार्य दिवस नहीं होने की स्थिति में बोली अगले कार्यदिवस पर प्राप्त या खोली जायेगी।

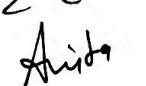
46. समस्त बोलीदाताओं को इन शर्तों व विनिर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा बोली प्रस्तुत करते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना बोलीदाता पर बाध्यकारी है।

47. किसी भी प्रकार के विवाद के उत्पन्न होने पर न्यायक्षेत्र चूरु शहर होगा।

सहमति स्वरूप बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म मोहर


अध्यक्ष (उपापन समिति)
जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरु (राज.)





बोली आमंत्रण सूचना संख्या: 03/2026-27

- 1. यह करार पत्र आज दिनांक माह..... सन्..... को प्रथम पक्ष

(अनुमोदित सप्लायर) तथा राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू के मध्य सम्पन्न किया हुआ समझा जायेगा।

- 2. अनुमोदित सप्लायर राजस्थान राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू द्वारा जारी खुली निविदा सूचना संख्या 03/2026-27 दिनांक के अनुक्रम में प्रस्तुत कार्य/सामान की निविदा के प्रतिफल में उक्त कार्यालय से प्राप्त कार्यालय/आपूर्ति आदेश क्रमांक दिनांक राशि अक्षरों में दी गई सभी वस्तुओं/सामानों की आपूर्ति निविदा एवं संविदा की शर्तों पर दिये गये तरीके/प्रक्रिया से सरकार को करने के लिए सहमत हो गया हूँ।
- 3. उक्त कार्यादेश/आपूर्ति आदेश की राशि के पेटे @ 5 प्रतिशत यथासमय प्रभावी दर से राशि की कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक से जमा करवाई जा चुकी है।
- 4. यदि अनुमोदिन सप्लायर कार्यादेश/आपूर्ति आदेश के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में कार्य/आपूर्ति करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाये रखेगा तो सरकार जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू के माध्यम से राज्य सरकार की वित्तीय नीति निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माल प्रेषण की देय राशि का भुगतान करेगी या करवायेगी।
- 5. माल की सुपुर्दगी कार्य आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक तक (तीस दिवस के अन्दर) में प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जायेगी।
- 6. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न सरकार की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरू द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे, जो अंतिम रूप से स्वीकार/मान्य होंगे।

निम्नांकित की साक्षी में दोनों पक्षकारों ने आज दिनांक को अपने हस्ताक्षर किये।

प्रथम पक्षकार

(अनुमोदित सप्लायर का नाम व मोहर)

द्वितीय पक्षकार

(राज्यपाल की ओर से
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरू)

दिनांक:-

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 2

साक्षी संख्या 2




Annexure – "A"

Compliance with the code of Integrity and No conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (i) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (j) Not represent or ot that sleads or attempts to slead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (k) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (l) Not suse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (m) Not indulge in any coercion including impairing or harmg or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (n) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (o) Disclose conflict of interest, if any; and
- (p) Disclose any previous transgression with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest –

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of Interest. A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- ii. A Bidder may be considered to be in conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not lited to:
 - h. Have controlling partners/shareholders in common; or
 - i. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - j. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - k. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process.
- l. The Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not lit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid, or
- m. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design of technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- n. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is propose to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:


Arida



ANNEXURE -B

Declaration by Bidders regarding Qualification

In relation to my/our Bid submitte: I to (ADJ DEEDWANA-KUCHAMAN) for
procurement of response to their Notice Inviting Bids
No.....Dated..... I/We here by declare under section 7 of
Rajasthan Tranparency in public procurement Act, 2012, that :-

6. I/We posses the necessary professional,technical ,financial and managerial resouces and competence required by the Bidding Document issued by the procuring entity.
7. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
8. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business actviities suspended and not the subject or legal proceeding for any of the foregoing reasons;
9. I/We do not have and our directors and officers not have been convicted of nay criminal offence related to my / our professional conduct of the making of false statements or misrepresentations as to my / our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurenment process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
10. I/We do not have a confilict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document which materially affects fair competition ;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :


Anita



Annexure – "C"

Affidavit regarding compliance to Terms & Condition of Tender

BIDDER NAME

I/We confirm that I/We are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have perused the entire Bid/tender document including all its amendment till date.

Having perused the subject tender with, with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars, Detailed technical specification of the product, Special Terms & Conditions and General Terms & Conditions wherever indicated, offer validity, Terms of delivery without and deviations whatsoever:

I/We also confirm acceptance of the all General Terms & Conditions of tender document.

I/We certify that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/unethical means in including cartelization.

I/We certified that tendering firm has not been banned by any Government Department of the State/PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material hub concealed.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Adh

Anita

Sanu

Annexure – "D"

STATEMENT OF PAST EXPERIENCE AND PERFORMANCE

We..... (Name of firm) do hereby undertake that we have performed work as per details given below:-

Calendar Year	Full address of Bidder with telephone	Order No & Date	Period of Completion of delivery		Certificate of Experience attached	Has the work catered satisfactory ?
			From	To		
1	2	3	4	5	6	7

Note:-

- 3- It should be submitted with technical Bid.
- 4- The relevant document is enclosed to verify the information and the document attached by me/us are correct and reliable to the best of my knowledge and in case of document and information found wrong our tender bid/contract shall be liable to be cancelled.

Date:-

Place:-Signature of bidder with Seal

Name-

Address-


Anita



Financial Envelope

Office of The District and Sessions Judge, Churu
Financial Bid For Supply and Installation of Computer , Printer, UPS and Photostate Machine

Office of ACJM Taranagar (Churu)
Financial Bid for Supply & Installation of Computer, Printer, UPS and Photostate Machine at ACJM Taranagar (Churu)

S.N.	Name of Article	Estimated Amount (Maximum)	Qty.	Rate Quoted Price Per Unit in Indian Rs. (only basic price) all other taxes (if any) may be shown seperately.				
				Name of Brand	Basic Price Per Unit			Total Price in Words
					Rate	Taxes(GST and Other)	Total	
1	Desktop Com- puter (Annex A)	280000	04					
2	Laser Printer (Annex B)		04					
3	UPS (Annex C)		04					
4	Photocopy Ma- chine (Annex D)	75000	01					

1. I/We have gone through the terms and conditions as stapulated in the bid enquiry document and confirm to accept and abide the same.
2. No other charges would be payable by the Department.
3. The delivery & Installation of the Items will have to be made at ACJM Court Taranagar. No. Transportation/ Carriage charges will be provided for the same.
4. The rate quoted should be firm and final and written in ink or typed against each item and should in no case be overwritten. Any overwriting/Modification of any type will lead to rejection of the bid.
5. Rates are to be quoted item-wise otherwise bid will be treated as unresponsive. L1 will be decided on individual item basis.
6. Our Status in respect of GST is: GST Registered Bidder/ Bidder has Opted for Composition Scheme (Strike off whichever is not applicable)

Dated:-

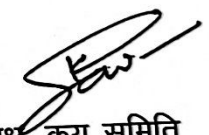
Place:-

Signature of the Bidder with Seal


AAO-II


सिनीयर सिस्टम ऑफिसर


CJM Churu


अध्यक्ष, क्रय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय, चूरु